

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. सेवार्य, राजस्थान जयपुर

क्रमांक - अराज/सामान्य/2014/SP-19


दिनांक- 16 अक्टूबर, 2014

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से इनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम	पद	कहाँ से	कहाँ को
1	अशोक पूनिया	च0श्रे0क0	पीएचसी बीजवाड चौहान, अलवर	पीएचसी जाट बहरोड, अलवर में बाबूलाल के स्थान पर
2	बाबूलाल	च0श्रे0क0	पीएचसी जाट बहरोड, अलवर	पीएचसी बीजवाड चौहान, अलवर में अशोक पूनिया के स्थान पर
3	कुसुमलता सूठवाल	एएनएम	सबसेंटर निमोद सेक्टर, मलारना चौड, खण्ड बाली, सवाईमाधोपुर	सबसेंटर बडली, मुण्डावर, अलवर
4	रणवीर चौपडा	नर्स 2	सीएचसी तिजारा, अलवर	पीएचसी बीजवाड चौहान अलवर
5	काली देवी	एएनएम	सबसेंटर डाबरकलां, पीएचसी नासीरधा, देवली टोंक	सीएचसी शाहजहांपुर, अलवर
6	सुरेन्द्र कुमार चौधरी	नर्स 2	पीएचसी मुबारिकपुर, अलवर	सैटेलाईट अस्पताल, काला कुआं, अलवर
7	दिनेश सिंह	नर्स 2	एपीओ राजगढ, अलवर	पीएचसी कुतीना, नीमराना, अलवर
8	रतनलाल चौधरी	नर्स 2	पीएचसी गढी मामोड, थानागाजी, अलवर	सीएचसी बानसूर, अलवर
9	चन्द्रा देवी	एएनएम	सबसेंटर गेडाप, आथुणा, सुजानगढ, चूरु	पीएचसी पेहल, अलवर
10	उदयचन्द्र मीणा	लेब टैक्नी0	सीएचसी पिनान, अलवर	सीएचसी राजगढ, अलवर
11	अशोक सैन	फार्मासिस्ट	पीएमओ, बांसवाडा	सैटेलाईट चिकित्सालय, बनीपार्क जयपुर
12	लक्ष्मीनारायण खाण्डेकर	फार्मासिस्ट	एमबी अस्पताल, उदयपुर	एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर

1. संविदा/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर्मचारी/रिवर्स डेपुटेशन/एनआरएचएम योजना के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारी के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं होगी। बाडमेर एवं जैसलमेर जिले में कार्यरत अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं की जावे।
2. मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे कार्मिकों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं की जावे।
3. जिन कर्मचारियों का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन किया गया है, उनका पदस्थापन/समायोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने जिले में रिक्त पद पर किया जावेगा। पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कर्मचारी को "अग्रिम आदेशों की प्रतीक्षा" में निदेशालय में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करें।
4. जिन कर्मचारियों का पदस्थापन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन किया गया है, उनका पदस्थापन/समायोजन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अपने खण्ड में रिक्त पद पर किया जावेगा।
5. जिन कर्मचारियों का पदस्थापन रिक्त पद पर किया गया है, वहां पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी को अन्य रिक्त पद पर समायोजन हेतु प्रस्ताव निदेशालय को भिजवायेंगे।
6. जिन कार्मिकों का नाम त्रुटिवश स्थानान्तरण सूची में 2 या अधिक बार आ गया हो अथवा एक ही स्थान पर दो अलग अलग कार्मिकों का स्थानान्तरण हो गया हो, उस स्थिति में पहले आदेश की क्रियान्विति होगी।
7. रिक्त पद पर किये गये स्थानान्तरण में किसी भी स्थिति में कार्मिक का समायोजन अन्य समकक्ष/उच्च रिक्त पद पर नहीं किया जायेगा।
8. पंचायतीराज विभाग के अधीन हस्तान्तरित कर्मचारियों के स्थानान्तरण ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर की सहमति से किये जा रहे हैं।
9. उपरोक्त शर्तों (1 से 9) की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त करने वाले/कार्यग्रहण कराने वाले अधिकारी का होगा।

  
(दिनेश कुमार जागिड)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0. जयपुर।
- 2- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर।
- 3- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
- 4- समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
- 5- उप शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर।
- 6- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजस्थान।
- 7- निदेशक जन स्वास्थ्य /आरसीएच/एडस/आईईसी/ईएसआई/भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर।
- 8- समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कालेज राजस्थान।
- 9- समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोन राजस्थान।
- 10- समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह राजस्थान।
- 11- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
- 12- समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- 13- समस्त उप/अति0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प0क0 राजस्थान।
- 14- समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
- 15- समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी/अधिकारी।
- 16- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 17- संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ।
- 18- आदेश/रक्षित पत्रावली।



(दिनेश कुमार जांगिड)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान जयपुर